>

Title: Regarding Buffer Zone in Andaman and Nicobar Island group.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं अंडमान-निकोबार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आधा अंडमान बफर जोन में चला गया है। भारत में ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं होगा, जहां राज्य के अंदर बफर जोन बनाई गई हो, लेकिन अंडमान में बफर जोन बनाई गई है। इसे देखकर मुझे इमर्जेंसी के समय के काले कानून की याद आ जाती है। प्रशासन क्या करना चाहता है और क्या करने जा रहा है, इस बारे में उसने एक किताब बनाई है, जिसे मैं यहां लेकर आया हूं। 1990 में इस किताब को बनाया गया और इसमें कहा गया कि जारवा जाति का विकास हो और गांव का विकास हो, इसका नाम मास्टर प्लान दिया गया। इस किताब के पेज नंबर 176 में लिखा गया कि रेवेन्यू बाउंड्री के बाहर, यानी उससे आगे 500 मीटर फॉरेस्ट होगा। उसके बाद 8 मीटर चौड़ा बफर जोन होगा और उसके बाद जारवा रहेंगे। सैटलर और गांव के लोग जंगल में जाएंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे और 500 मीटर फॉरेस्ट के अंदर से बैम्बू लाएंगे और बल्ली लाएंगे, लेकिन बफर जोन क्रॉस कर के जारवा एरिया में नहीं जाएंगे।

यह किताब बनाई गई। इस किताब के मास्टर प्लान की आबादी 1999 से 2021 तक है, लेकिन अंडमान निकोबार प्रशासन ने इस किताब पर ध्यान ही नहीं दिया और कार्रवाई भी नहीं की। अचानक अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल महोदय ने कानून में ऐसा बनाया कि आधा अंडमान चला गया, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, 1.5 लाख की आबादी को जारवा के नाम पर बफर जोन में दे दिया। 15 सितम्बर, 2004 को समुद्र में पांच किलोमीटर दे दिया और आधा अंडमान के गांवों में पांच किलोमीटर गांवों का एरिया जारवा रिजर्व दे दिया। वहां पुनः 30 अक्टूबर, 2007 को बफर जोन के नाम पर और पांच किलोमीटर समुद्र में दे दिया, वहां यदि कोई मछली मारने जायेगा तो सीधे तीन साल की जेल होगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What do you want?

SHRI BISHNU PADA RAY : Please allow me. I am coming from a very far-flung area.

MR. CHAIRMAN : I am allowing you. But you tell us, what you want.

SHRI BISHNU PADA RAY : I have no Assembly in Andaman and Nicobar Islands. The matter is very serious. Out of four lakh people, half of them are affected. Please bear with me.

MR. CHAIRMAN : I will allow you. But please be specific as to what you want. Otherwise, tomorrow we are taking up the General Budget for discussion. You can speak whatever you want to speak in the Budget and you will be allowed. Now, it is 'Zero Hour'; you have to be specific in what you want to say. Do not go on explaining everything.

SHRI BISHNU PADA RAY : Okay, Sir. I will take 2-3 minutes only. इसमें क्या हुआ कि 15 सितम्बर, 2004 को समुद्र में पांच किलोमीटर जारवा एरिया दे दिया। उसके बाद 30 अक्टूबर, 2007 को आधा अंडमान निकोबार-34 गांव जारवा के नाम पर बफर जोन में दे दिया। इस एरिया में होटल नहीं चलेगा, रैस्टोरेंट नहीं चलेगा, लॉज नहीं चलेगा, गैस्ट हाऊस नहीं चलेगा, क्योंकि बफर जोन में दे दिया।

इस नक्शे में 1.5 लाख आबादी आज बफर जोन में आ चुकी है। अंडमान निकोबार के लोगों के पास, नागरिकों के पास क्या सैंकिण्ड सिटीज़नशिप है, हम क्या सैंकिण्ड सिटीज़न हैं? मैं इस सरकार से, उपराज्यपाल से पूछना चाहता हूं, हमने उनसे अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इस बारे में यह कानून गैर-कानूनी है, काला कानून बनाया गया है। अंडमान निकोबार की कमेटी, आई.डी.ए. कमेटी, होम मिनिस्ट्री, आदिवासी मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री या सरकार की किसी कमेटी से सलाह भी नहीं की गई और बफर जोन बना दिया गया।

अंडमान निकोबार प्रशासन के चीफ सैक्रेटरी महोदय, सैक्रेटरी रेवेन्यू, डी.सी. बोलते हैं कि उप-राज्यपाल जी यह कानून मत बनाओ, यह कानून गैर-कानूनी है, यह इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उप-राज्यपाल ने बात नहीं सुनी और बफर जोन का काला कानून बनाया गया। इस बारे में मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह-मंत्री, सब मंत्रियों को पत्र दिया, लेकिन मुझे केवल एक्नोलिजमेंट मिला, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने नारायण स्वामी जी को पत्र भी लिखा, मांग भी की, मैं उनसे मिला भी हूं, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अंडमान द्वीपसमूह में बफर जोन के कारण हाल ही में पार्लियामेंट की एक कमेटी, सोशल जस्टिस एण्ड एम्पावरमेंट दारासिंह जी के नेतृत्व में टीम लेकर गई थी, उन्होंने भी माना कि बफर जोन गैर-कानूनी है, ठीक नहीं है।

जारवा का विकास हो, यह हम भी चाहते हैं। लेकिन साथ ही हमारे द्वीपवासियों का भी विकास हो। इस कानून को लेकर मैं होम मिनिस्टर को भी मिला, 24 फरवरी को होम सैक्रेटरी को मिला, यह मैप उनको दिखाया गया, उन्हें जानकारी भी दी गई और अनुरोध भी किया गया कि इस पर विचार करें कि बफर जोन बनाना जरूरी है कि नहीं है। इस बारे में रास्ते पर आन्दोलन भी किया गया, बिल्ली ग्राउण्ड में, टोगापुर में, बाराटांग में, टुग्नाबाद में, कदमतला में एम.पी. लोगों को लेकर रास्ते पर बैठा है, प्रशासन देखता है कि रास्ता बन्द है, लेकिन अरैस्ट नहीं करता है। नारायण स्वामी जी, यह कैसा कानून बनाया? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : He is already taking down notes. You may conclude.

श्री विष्णु पद राय : मैं आखिर में मांग करूंगा कि हमारी क्या-क्या मांग है। इम्मीडिएटली भारत सरकार के मंत्री नारायण स्वामी जी अंडमान निकोबार समूह में आयें, एक बार देखें, जारवा को देखें और गांव के लोगों को देखें। पार्लियामेंट कमेटी, गृह-मंत्री की कमेटी, अंडमान निकोबार आकर देखें कि बफर जोन बनाना जरूरी है या गैर-कानूनी है।

नम्बर दो-तुरन्त इस बारे में मैं अनुरोध करूंगा कि जारवा के विकास के नाम पर कमेटी रिपोर्ट दी गई। दारा सिंह चौहान जी टूर पर गये थे, उन्होंने कहा कि जारवा को मेनस्ट्रीम में लाओ। सोनिया गांधी की बात याद आई, उनके पर्सनल सैक्रेटरी धीरज श्रीवास्तव जी गये थे, उन्होंने माना कि जारवा को मेनस्ट्रीम में लाओ और बफर जोन मत बनाओ। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि हमारे पड़ौसी पुदुच्चेरी के एम.पी., प्रधानमंत्री के राइट हैंड नारायण स्वामी जी अंडमान निकोबार में जायें।

वह अंडमान निकोबार में जाएं और इस पर कार्रवाई करके बफर जोन हटाएं। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसा आदेश सरकार को दें। सदन में मंत्री उपस्थित हैं, वह बतायें कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करेगी?

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow, the 8th March, 2011 at 11.00 a.m.

17.30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Tuesday, March 8, 2011/Phalguna 17, 1932 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded.

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Not recorded

* Not recorded

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Not recorded

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, Section-2 dated 07.03.11

** Introduced with the Recommendation of the President

* Not recorded

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

* Not recorded